संख्या- 88 /2016- 1367 /नौ-5-16-175बजट/2014

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-2017 में आगरा नगर के यमुना पार क्षेत्र कालिन्दी विहार एवं नरायच क्षेत्र में पेयजल योजना के लिए छठी किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-68/बैंकिंग/2314-0017/15-16 दिनांक 31.03.2016 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-80/2016-54(1)/नौ-5-16-175बजट/2014 दिनांक 31 मार्च, 2016 को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-20/2015-1267/नौ-5-15-175बजट/2014 दिनांक 18.02.2015 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आगरा नगर के यमुना पार क्षेत्र कालिन्दी विहार एवं नरायच क्षेत्र में पेयजल परियोजना की निर्धारित लागत रू0 3379.71 लाख (रू0 तैंतीस करोड़ उन्यासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 338.00 लाख (रू0 तीन करोड़ अड़तीस लाख मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त रूप में, शासनादेश संख्या-39/2015-1403/नौ-5-15-175 बजट/2014, दिनांक 27.02.2015 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1014.00 लाख, शासनादेश संख्या-361/2015-6668/नौ-5-15-175 बजट/2014, दिनांक 22.12.2015 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 400.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-15/2015-54/नौ-5-16-175 बजट/2014, दिनांक 29.01.2016 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 330.00 लाख (रू0 तीन करोड़ तीस लाख मात्र) तथा शासनादेश संख्या-15/2015-54/नौ-5-16-175 बजट/2014, दिनांक 29.01.2016 द्वारा पंचम किश्त के रूप में रू0 14.32 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, के अनुक्रम में छठी किश्त के रूप में रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या-20/2015-1267/नौ-5-15-175बजट/2014 दिनांक-18-02-2015 द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष् कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमो/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

shashanadesh.up.nic.in

go finance mangal font

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(8) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या- 88 /2016-130)(1) /नौ-5-16-175बजट/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/आगरा।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
9- महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण, इकाई जल निगम, आगरा /
अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

go finance mangal font

shikshakosh.up.nic.in/index

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-16/04/2016

प्रेषण संख्या:- 88

आवंटन आदेश संख्या:- 001-88-2016-1307-9-5-16-175B-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
191 - नगर निगमों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय निकायों को पेयजल कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000000 100000000	100000000 100000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	100000000 100000000	100000000 100000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी